JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

(छूटे हुए लक्षित परिवारों के सामाजिक समावेशन के सम्बन्ध में)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा बिहार के सभी गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर इनके आजीविका संवर्द्धन का प्रयास किया जाता है। जीविका परियोजना, आरम्भ से ही बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वयं सहायता समूह में आच्छादन के साथ उनके मजबूत उच्चतर सामुदायिक संगठन निर्माण के लिए प्रयासरत है, फलतः इस सामाजिक समावेशन की दिशा में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की है। साथ ही छूटे हुए लक्षित गरीब ग्रामीण परिवारों को पुराने अथवा नए समूहों से जोड़कर इनके शत-प्रतिशत आच्छादन के लिए निम्नवत रणनीति के साथ निरंतर तत्पर है।

लक्षित परिवारों का पुराने स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव / नए स्वयं सहायता समूह का गठन :

1. प्रत्येक गाँव को संतृप्त करने के लिए संबंधित सामुदायिक समन्वयक/ क्षेत्रीय समन्वयक, कैडर एवं ग्राम संगठन संयुक्त रूप से लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह से जोड़ने/ नए स्वयं सहायता समूह का गठन के लिए कार्य करेंगे।
2. छूटे हुए लक्षित परिवार को नए/ पुराने समूह में समावेशन के लिए सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों (SHGs, VOs, CLFs) एवं BPIUs तथा DPCUs के लिए **June- August 2022 तक का प्राथमिक एजेंडा** होगा।
3. इस कार्य के सरलता हेतु प्रत्येक ग्राम संगठन/ प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को अपने कार्यक्षेत्र में जीविकामित्र (CM), लेखापाल (VO-BK), अथवा अन्य योग्य कैडर एवं **'ग्राम संगठन-सामाजिक सुधार उपसमिति'** के सहयोग से छूटे हुए लक्षित परिवारों की एक सूची बनानी है।
4. सूची से प्राप्त छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह से जोड़ने/ नए स्वयं सहायता समूह का गठन करने का कार्य जीविकामित्र (CM), लेखापाल (VO-BK) या अन्य योग्य कैडर एवं ग्राम संगठन को करना है।
5. इस कार्य को गति देने के लिए ग्राम संगठन के द्वारा प्रत्येक सप्ताह **'समूह निर्माण दिवस'** का आयोजन करना है।
6. छूटे हुए लक्षित परिवार को नए/ पुराने समूह में जोड़ने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में जीविकामित्र (CM), लेखापाल (VO-BK) या अन्य योग्य कैडर को योग्य लक्षित परिवारों के स्वयं सहायता समूह में जुड़ाव पर प्रति सदस्य 30/- (तीस रुपये मात्र) और ग्राम संगठन को प्रति सदस्य 50/- (पचास रूपये मात्र) देय होगा। स्वयं सहायता समूह के प्रोफाइल जमा करने के बाद ही संबंधित कैडर/ ग्राम संगठन को **'प्रोत्साहन राशि'** देय होगा।
7. संबंधित सामुदायिक समन्वयक/ क्षेत्रीय समन्वयक उक्त नव गठित समूहों अथवा पुराने समूहों जिसमें सदस्यों का जुड़ाव हुआ है, का प्रोफाइल संबद्ध कैडर से प्राप्त करेंगे और समूह गठन/ सदस्य जुड़ाव से अगले एक सप्ताह के भीतर MIS में इनकी एंट्री सुनिश्चित कराएँगे।
8. वैसे गाँव/ बसावट, जहाँ अब तक समूह निर्माण हेतु प्रवेश नहीं हुआ है या गाँव जहाँ समूह गठन की संभावना पर्याप्त है उसके लिए प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, **Internal CRP Policy के तहत Intra-Block CRP Strategy** के साथ ग्राम प्रवेश तथा छूटे हुए लक्षित परिवार को नए/ पुराने समूह में समावेशन अर्थात समूह गठन का कार्य, अक्रियाशील समूहों को पुनर्जीवित

करने का कार्य कराया जा सकता है I इस हेतु प्रत्येक CRP को Internal CRP Policy के तहत Intra-Block Payment Matrix के अनुसार 160/- संसाधन शुल्क तथा 100/- भोजन शुल्क प्रतिदिन भुगतेय होगा I

9. इस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु District Training Cell को एक वाहन सहयोग का प्रावधान माह में 15 दिनों हेतु अगस्त 2022 तक प्रदान किया जाता है I

उक्त क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों/ प्रखंड मेंटरों की समीक्षा सम्बंधित DPMs द्वारा साप्ताहिक रूप में किया जाएगा I सभी DPMs पूर्ण मनोयोग से आवश्यक समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त करेंगे I तथा प्रगति से ससमय राज्य कार्यालय को अवगत करायेंगे I

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सह- राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. सभी परियोजना कर्मी
2. आई.टी. सेक्शन
3. संबंधित संचिका